भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *16
उत्तर देने की तारीख 25.11.2024

अनुभवी कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता

*16. **श्री के. राधाकृष्णन :**

श्रीमती रचना बनर्जी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुभवी कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत चुने गए कलाकारों की राज्य-वार संख्या कितनी है और प्रति माह प्राप्त पेंशन की राशि का ब्यौरा क्या है;
(ख) सरकार की योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले पश्चिम बंगाल राज्य के अनुभवी कलाकारों की संख्या कितनी है और पेंशन के लिए लंबित अपेक्षित आवेदनों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और उनकी संख्या कितनी है;
(ग) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि केरल राज्य के कई अनुभवी कलाकारों को आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बाद भी पिछले दो वर्षों से पेंशन राशि नहीं मिल रही है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पेंशन किस माह से लंबित है और केरल राज्य के अनुभवी कलाकारों के लिए 31.10.2024 तक भुगतान के लिए लंबित कुल पेंशन राशि कितनी है;
(ड.) क्या सरकार ऐसे सभी कलाकारों को लंबित पेंशन के भुगतान में तेजी लाने पर विचार कर रही है;
(च) यदि हां, तो इसके लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और
(छ) क्या सरकार का अनुभवी कलाकारों की मासिक पेंशन राशि बढ़ाने का इरादा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (छ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

'अनुभवी कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता' के संबंध में दिनांक 25 नवम्बर, 2024 को श्री के. राधाकृष्णन और श्रीमती रचना बनर्जी द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *16 के भाग (क) से (छ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) : संस्कृति मंत्रालय द्वारा अनुभवी और गरीब कलाकारों की सहायता करने के उद्देश्य से 'वयोवृद्ध कलाकारों हेतु वित्तीय सहायता' नामक स्कीम का संचालन इसके विभिन्न रूपों में किया जाता है। इस स्कीम के अंतर्गत कलाकारों को प्रदान की जा रही वित्तीय सहायता सीसीएस (पेंशन) नियमावली द्वारा नियंत्रित औपचारिक रूप से प्रदान की जाने वाली किसी प्रकार की पेंशन नहीं है। इसके बजाय, यह वयोवृद्ध कलाकारों की वित्तीय और सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की जाने वाली मदद स्वरूप है। इस स्कीम के अंतर्गत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के चयनित कलाकारों को 6000/- रुपये प्रति माह की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तथापि, चयनित कलाकारों को यदि उनके संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की ओर से कोई कलाकार पेंशन प्राप्त होती है तो ऐसे कलाकारों को सहायता राशि जारी करने से पहले इसमें से पेंशन राशि को घटाया जाता है। 'वयोवृद्ध कलाकारों हेतु वित्तीय सहायता' की स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2024-25 तक चयनित और सहायता प्राप्त कलाकारों की संख्या **अनुलग्नक** पर दी गई है।

(ख): विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य से इस स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले अनुभवी कलाकारों की संख्या निम्नलिखित है:

वित्तीय वर्ष	सहायता प्राप्त अनुभवी कलाकार	संवितरित धनराशि (लाख रुपये में)
2021-22	32	12.31
2022-23	27	11.71
2023-24	35	28.53
2024-25 (21.11.2024 तक)	17	08.89

चयनित कलाकारों हेतु वित्तीय सहायता जारी करना कतिपय अनिवार्य दस्तावेजों जैसे कि, वर्ष में एक बार डिजिटल आयु प्रमाणपत्र (डीएलसी) 5 वर्ष में एक बार वार्षिक आय

प्रमाणपत्र संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से कलाकार पेंशन, यदि कोई हो की प्राप्ति को दर्शाने वाले दस्तावेज की प्रस्तुति पर निर्भर करता है। उनकी ओर से अपेक्षित अनिवार्य दस्तावेज प्राप्त हो जाने पर, जो कि एक सतत् प्रक्रिया है, त्वरित रूप से वित्तीय सहायता वितरित करने के लिए भरसक प्रयास किए जाते हैं।

(ग) और (घ): सरकार का यह निरंतर प्रयास रहा है कि केरल राज्य सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के चयनित कलाकारों से अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त हो जाने के पश्चात शीघ्र-अतिशीघ्र उक्त स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता जारी कर दी जाए। तदनुसार, विगत दो वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले केरल राज्य के अनुभवी कलाकारों की संख्या निम्नलिखित है:

वित्तीय वर्ष	सहायता प्राप्त अनुभवी कलाकार	संवितरित धनराशि (लाख रुपये में)
2022-23	51	25.3
2023-24	67	64.21

(ङ) और (च): संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2017 से पहले चुने गए लाभार्थियों को वित्तीय सहायता संवितरित करने का कार्य भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को सौंपा था। 2017 से, मंत्रालय ने स्वयं ही अनुभवी कलाकारों से अपेक्षित दस्तावेजों की प्राप्ति हो जाने पर उन्हें वित्तीय सहायता संवितरित करनी आरंभ कर दी। इस स्कीम के अंतर्गत लाभार्थियों को वित्तीय सहायता संवितरित करने की प्रक्रिया को और अधिक कारगर बनाने के लिए, संस्कृति मंत्रालय और कैनरा बैंक के बीच दिनांक 28.06.2023 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिसके परिणामस्वरूप 2022-23 में वित्तीय सहायता के रूप में प्राप्त 18.17 करोड़ रुपये की संवितरण राशि 2023-24 में बढ़कर 28.96 करोड़ रुपये हो गई।

(छ): अंतिम बार इस स्कीम की समीक्षा 2022 में की गई थी और 1 जून, 2022 से, इस स्कीम के अंतर्गत मासिक वित्तीय सहायता की राशि को 4000/- रुपये से बढ़ाकर 6000/- रुपये कर दिया गया है।

*****

अनुलग्नक

'अनुभवी कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता' के संबंध में दिनांक 25 नवम्बर, 2024 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *16 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लाभान्वित कलाकारों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	507
2	असम	36
3	बिहार	41
4	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	34
5	हरियाणा	21
6	झारखंड	13
7	कर्नाटक	834
8	केरल	344
9	मध्य प्रदेश	55
10	महाराष्ट्र	1995
11	मणिपुर	116
12	नागालैंड	4
13	ओडिशा	2049
14	राजस्थान	9
15	तमिलनाडु	264
16	तेलंगाना	673
17	उत्तर प्रदेश	231
18	उत्तराखंड	13
19	पश्चिम बंगाल	94
	कुल	**7333***

* कोविड-19 के बाद, इस स्कीम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की वास्तविक संख्या का पता लगाने और दिवंगत लाभार्थियों के मामलों (लगभग 400) को बंद करने के लिए गहन अध्ययन किया गया। इस अध्ययन के दौरान यह पता चला कि 7333 लाभार्थियों ने अपने अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत किए थे और पिछले कुछ वर्षों में किसी न किसी समय पर, इस स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता का लाभ प्राप्त किया था।

*****